

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/एटी/प035/2018/29

दिनांक : 9/04/2018

—: आदेश :-

शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक प. 1(1)/चि.स्वा./2/2014पार्ट दिनांक 09.11.2017 के अनुसरण में राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम-1963 के नियम 26 में उपलब्ध प्रावधानों के अन्तर्गत बॉक-एण्ड-इन्टरव्यू द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर आवश्यक तदर्थ आधार (Urgent Temporary Basis) पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी का अनुमोदन एतद् द्वारा किया जाता है :-

क्र. सं.	जिला	चिकित्सक का नाम व पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	वर्ग	लिंग	पदस्थापन स्थान
1	भरतपुर	डॉ० भवानी शंकर/श्री मुरारी लाल शर्मा			पुरुष	मु.चि. एवं स्वा. अधि. भरतपुर के अधीन
2		डॉ० लक्ष्मीनारायण/श्री मुखराम			पुरुष	
3		डॉ० मनोज कुमार/श्री लाराचन्द			पुरुष	
4		डॉ० जितेन्द्र कुमार/श्री करन सिंह			पुरुष	
5		डॉ० मेधराज सैनी/श्री खुशीराम			पुरुष	
6		डॉ० नरेन्द्र सिंह/श्री परशुराम			पुरुष	
7		डॉ० हरिओम पाठक/श्री महेश प्रकाश पाठक			पुरुष	
8		डॉ० सुनील मीणा/श्री जतीराम मीणा			पुरुष	
9		डॉ० योगेश कुमार/श्री भूषण सिंह			पुरुष	
10	प्रतापगढ़	डॉ० मकेश गोधा/श्री मंगल गोधा	01.03.92		पुरुष	मु.चि. एवं स्वा. अधि. प्रतापगढ़ के अधीन
11		डॉ० धीरजमल रोत/श्री राजकुमार रोत	04.03.92		पुरुष	

शेष शर्तें शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक प.1(1)/चि.स्वा./ग्रुप-2/2014 दिनांक 04/10/14 के अनुसार रहेगी।

नोट :- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, संबंधित को लेख है कि अभ्यर्थी के कार्यग्रहण के समय अनिवार्य रूप से डिग्री आरएमसी का रजिस्ट्रेशन व अन्य प्रमाण पत्र की जांच करें तथा उपरोक्त अनुमोदन में जिन अभ्यर्थियों के प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन व चिकित्सा अधिकारी (दन्त) है तो उनको कार्यग्रहण नहीं करावें।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/एटी/प035/2018/29

दिनांक : 9/04/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज० जयपुर।
3. संभागीय आयुक्त, संबंधित/ जिला कलेक्टर संबंधित।
4. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2), विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-संबंधित।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, संबंधित को भेजकर लेख है कि उक्त चयनित चिकित्सक को आपके अधीन लम्बे समय से आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर रिक्त बाल पदों पर पदस्थापन करते हुए कार्यग्रहण की सूचना 03 दिवस में अधो-हस्ताक्षरकर्ता को भिजवाना सुनिश्चित करें।
7. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को आज ही विभाग की वेबसाइट पर अवलोड करावें।
8. निजी/आदेश पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर